

13/1/19

धीमान कलेक्टर को पत्रावली दिनांक 1-1-20 का पेश हो।

1-1-20

पत्रावली काज पेश हुई।

अपीलाट द्वारा गृह अपील आर्गन
द्वारा 19(1) सूचना के अधिका अधिसूचना 2005
के प्रान्त का लोक सूचना अधिका अधिसूचना
सोजत के घोषित रजिस्ट्री की नकल प्रिन्सिपल हेतु
निर्देशित करते का नियेदत किया है।

इस न्यायालय द्वारा लिखा जाते पा तह
सोजत में अपेठे जस्टिस पत्रावली 138 डि 269/19
के अन्तर्गत कराया कि प्रार्थिया सुधीन अधिसूचना
में अपेठे प्रार्थना का में पंजीकृत दस्तावेज आ
सोडिया के खमर नम्बर 1660, 1681 बाबर-बासगा
तह सोजत द्वारा पंजीकरण लिखी डेटा विवेका के ना
के अन्तर्गत में नकल प्रिन्सिपल संभव नहीं होगा
जातिर किया है। तथा आस सोडिया के संवत्स
दस्तावेजों का पंजीकृत उप पंजीकृत कार्यालय बगरी
होने से इसी कार्यालय में सभी नाक डेटा विवेका के ना
तथा पंजीकृत के साथ अपेठे पेश करने हेतु
सूचना पर प्रार्थिया सुधीन के घोषित किया जा
करी पत्रावली में प्रान्त प्रार्थना का निरस्त किया
जा-रुका है। प्रार्थिया उपपंजीकृत बगरी में
सभी विविधियों का नकल करते हुए निम्नानुसार
आपेठे प्रान्त का नकल प्राप्त कर सकता है
जिसकी निम्नानुसार निर्धारित फीस एवं ह्याच के
साथ पेश का प्राप्त करे। इस प्रकार के वर्तमान
में किसी प्रकार का अनुलोष अपीलाट के
दिया नहीं जा सकता है अपील अपीलाट
निरस्त की जाती है।

पत्रावली युक्त फिलत होकर अपीलाट को
निम्न की प्रति निम्नानुसार नम्बर से कर है।

जिला कलेक्टर, बाली